प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01225/2019-2020

दिनांक 01/02/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/SKN/04550/2019-2020 पत्रावली संख्या:G-36082 दिनांक:2003-2004

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **ए0 बी0 एम0 शिक्षा एवं सेवा संस्थान, खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर उ0प्र0।, संत कबीर नगर , 272175** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1199/2003-2004 दिनांक-26/03/2004 को दिनांक-26/03/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |
1600 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(SUNIL KUMAR SRIVASTAVA)
5DEC57541F905853D493F4A1F53C818FAE1D680B
Date: 01/02/2020 3:40:23 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-01/02/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

CamScanner

1R९

INDIA

एक रुपया

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

ए० वी० एम० शिक्षा एवं सेवा संस्थान खलीलाबाद

संतकबीर नगर जी 36082

शपथपत्र

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
29/3/04

2R$

INDIA

दो रुपये | दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

ए० वी० एम० शिक्षा एवं सेवा संस्थान खलीलाबाद

संतकबीरनगर जी 36082

सम्यति पत्र

29/3/04

स्मृति–पत्र

संस्था का नाम — ए0वी0एम0 शिक्षा एवं सेवा संस्थान

संस्था का पता — खलीलाबाद, संत कबीर नगर

कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

संस्था का उद्देश्य

(क) बालक, बालिकाओं के लिए उपयुक्त साहित्यिक वैज्ञानिक कलात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक एवं प्रारम्भिक से उच्च स्तर तक की मनोवैज्ञानिक नवीनतम् पद्धति पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करना।

(ख) चिकित्सा शिक्षा, सेवा, परिवार कल्याण, हस्तकला, लघु एवं कुटीर उद्योग, कम्प्यूटर एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना।

(ग) भारतीय संस्कृति, धर्म, आचार पद्धति तथा राष्ट्र जीवन के प्रति श्रद्धा रखने वाले भावों का प्रसार करना।

(घ) अनु0जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों, विकलांग एवं निर्धन वर्ग के छात्र–छात्राओं को आवासीय सुविधा से युक्त छात्रावास सहित विद्यालय की व्यवस्था करना, महिलाओं के विकास एवं उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाना तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था।

(ङ) महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बेकिंग, कुकिंग, पेन्टिंग, फल संरक्षण, गृह निर्माण, शिशु कला के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(च) औषधीय पौधों, वनस्पतियों, वृक्षों को उगाना, संरक्षण करना व एकत्र करना व उनसे उत्पादित औषधियों आदि का निर्माण एवं विक्रय करना।

(छ) सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शुल्क, दान, चन्दा, सरकारी एवं गैर सरकारी, (केन्द्र एवं राज्य सरकार) आदि से अनुदान सहायता एवं ऋृण प्राप्त करना तथा सम्बन्धित संस्थाओं के विकास हेतु व्यय करना।

(ज) समाज कल्याण के सभी क्षेत्रों में कार्य करना, शिक्षा विभाग के नियमानुसार शिक्षा की व्यवस्था करना, इस हेतु शासन से अनुदान, ऋृण आदि सहयोग प्राप्त करना।

(झ) साधारणतया वे सभी कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

(ञ) खादी ग्रामोद्योग व अन्य संस्थाओं से ऋृण व अनुदान प्राप्त करना एवं समाज सेवा तथा उद्योगों के विकास हेतु कार्य करना।

(ट) छात्रावास, पुस्तकालय, अस्पताल (नर्सिंग होम) आदि की स्थापना करना एवं इस हेतु शासकीय सहयोग ऋृण/अनुदान प्राप्त करना।

(ठ) दहेज प्रथा उन्मूलन, वृक्षारोपण, देशाटन, जनजागृति एवं मानव विकास हेतु प्रदर्शनी, मेला, नाटक, नुक्कड़ सभा जागरूकता शिविर, शिक्षित बेरोजगार को प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान कराना एवं ऐसे कार्य करना जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 20 के अर्न्तगत आते है।

(सुरेन्द्र सिंह)

सरिता पाण्डेय

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय एवं पद जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबन्धन का दायित्व है –

क्र0सं0	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	सुरेन्द्र सिंह	बंजरिया पूर्वी, खलीलाबाद संत कबीर नगर	नौकरी	अध्यक्ष
2.	दुर्गा प्रसाद सिंह	ग्राम – गोपालपुर पो0–समसपुर, जिला–बस्ती	अध्यापन	उपाध्यक्ष
3.	परमात्मा प्रसाद पाण्डेय	ग्राम व पो0 – हरिहरपुर जिला – संत कबीर नगर	अध्यापन / समाज सेवा	मंत्री / प्रबन्धक मैनेजिंग डा0
4.	श्रीमती कौशिल्या देवी	हरिहर पुर, वार्ड नं0 7 संत कबीर नगर	गृहणी	उ0म0 / उ0प्र0 सब मै0 डाय0
5.	उमेश चन्द्र मिश्र	ग्राम व पो0 – घनघटा जिला – संत कबीर नगर	व्यवसाय	उपमंत्री / उपप्रबन्धक
6.	दीना नाथ शुक्ल	[illegible]दुला, खलीलाबाद संत कबीर नगर	नौकरी	कोषाध्यक्ष
7.	मदन मोहन त्रिपाठी	ग्राम – [illegible]हारी [illegible]द, संत कबीर नगर	कृषि	सदस्य
8.	सरिता पाण्डेय	हरिहर पुर, वार्ड नं0 7 संत कबीर नगर	गृहणी	सदस्य
9.	दीनानाथ उपाध्याय	ग्राम व पो0 – खजुरिया जिला – संत कबीर नगर	अध्यापन	[illegible] / [illegible]
10.	डा0 विजय कृष्ण ओझा	गोरखपुर रोड, खलीलाबाद संत कबीर नगर	अध्यापन	सदस्य
11.	अरविन्द वर्मा	शास्त्री नगर, खलीलाबाद संत कबीर नगर	व्यवसाय	सदस्य

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता एक समिति बनाकर उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक संस्था बनाकर संगठित होना चाहते है तथा संस्था को रजिस्टर्ड कराना चाहते है –

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
[illegible]

प्रतिलिपि कर्ता –
मिलान कर्ता –

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति –

1. गठन – प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा किया जायेगा जिसमें 6 पदाधिकारी तथा चार सदस्य होगें।

2. बैठक – समिति की बैठक वर्ष में दो बार अवश्य होगी, आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

3. सूचना अवधि – बैठक की सूचना सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व डाक या संदेश वाहक द्वारा दी जायेगी।

4. गणपूर्ति – गणपूर्ति कार्यकारिणी 2/3 सदस्यों की उपस्थिति पर होगी।

5. रिक्त स्थानों की पूर्ति – आकस्मिक रूप से कोई स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति मंत्री द्वारा शेष कार्य काल के लिए नामित करके की जायेगी।

6. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य – 1. संस्था के हित में सभी प्रकार का प्रयत्न करना।

7. कार्यकाल – समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार एवं कर्तव्य –</u>

अध्यक्ष – बैठकों की अध्यक्षता करना, कार्यवाही के लिए नये विषयों को जोड़ना, बैठकों के विषयों का अनुमोदन करना, नियुक्ति, विनियुक्ति वेतन तथा दण्ड आदि प्रक्रिया में आवश्यक सलाह देना।

उपाध्यक्ष – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना।

प्रबन्धक/मंत्री – समिति की बैठकों का संचालन करना, कार्यवाही लिखना, व्यय की स्वीकृति देना, समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करना, अभिलेखों की पूर्ति रख–रखाव की व्यवस्था करना, पंजीकरण की व्यवस्था करना, नियुक्ति, विनियुक्ति, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, दण्ड आदि सुनिश्चित करना, राजकीय सहायता अनुदान ऋृण आदि प्राप्त करने हेतु समिति की ओर से कार्य करना, प्रबन्धक द्वारा बैंक आदि में स्वयं अथवा अन्य किसी नामित व्यक्ति को एकल एवं संयुक्त खाता खोलने हेतु अधिकृत करना एवं कराना। साधारण सभा का सदस्य बनाना एवं रसीद देना तथा संस्था के विरूद्ध कार्य करने पर किसी सदस्य को निष्कासित करना।

उप प्रबन्धक/उपमंत्री – मंत्री के द्वारा दिये गये दायित्वों का निर्वाह करना तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं मंत्री की अनुपस्थिति में उक्त दायित्व का निर्वाह करना।

कोषाध्यक्ष – आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना, मंत्री द्वारा स्वीकृत बिलों का भुगतान करना, धन को मान्यता प्राप्त बैंक में जमा कराने की व्यवस्था करना।

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन – संस्था के नियमों, विनियमों में संशोधन 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

संस्था का कोष – संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में प्रबन्धक / मंत्री के खाते में जमा किया जायेगा अथवा प्रबन्धक द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम एकल अथवा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

लेखा परीक्षण (आडिट) – संस्था का आडिट समिति द्वारा नियुक्त किसी अंकेक्षक कराया जायेगा।

उप संस्थाओं का गठन – उपरोक्त संस्था विभिन्न जनपदों के भिन्न–भिन्न नामों अलग–अलग संस्थाओं का गठन कर सकती है। जिसके अध्यक्ष एवं मंत्री इसी संस्था के रहेगें शेष पदाधिकारिणी एवं सदस्य दूसरे भी हो सकते है तथा इस संस्था के सभी उद्देश्य निपक्ष उस पर भी पूर्णतया लागू होगें।

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध संचालन का उत्तरदायित्व – अदालती कार्यवाही में संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध होने वाले मुकदमें की पैरवी मंत्री द्वारा की जायेगी।

संस्था के अभिलेख – सदस्यता रजिस्ट्र, कार्यवाही रजिस्टर स्टाम्प रजिस्टर कैश बुक आदि।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स चिट्स तथा सोसाइटीज
गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
29/3/04

1Re

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

एन० डी० एस० शिक्षा एवं सेवा संस्थान, खलीलाबाद

संतकबीरनगर ... नं० जी 36082 ... के नाम पंजीकृत है।

पिपरापली

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

उ० प्र० गोरखपुर

29/3/04

2Rs

INDIA

दो रुपये — दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES — भारत — TWO RUPEES

ए० वी० एम० शिक्षा एवं सेवा संस्थान खलीलाबाद

संतकबीरनगर जी 36082

निपनावली

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
24/3/15

22-3-14
8-4-14